

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11864/2026

URN: CW / 26241U / 2026

1. Suman Gurjar Wife Of Shri Dhanraj Gurjar D/o Shri Kishor Lal Gurjar, Aged About 21 Years, R/o Village Nenoopura, Tehsil Kotkhawada, District Jaipur At Present Village Gaeshpura @ Hathathali, Dehlod, District Tonk.
2. Dhanraj Gurjar Son Of Rameshwar Gurjar, R/o Village Gaeshpura @ Hathathali, Dehlod, District Tonk.

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Secretary, Home Department, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. Deputy Commissioner Of Police, Jaipur City South.
3. S.h.o., Police Station Kotkhawada, District Jaipur City South.
4. Kishor Lal Gurjar Son Of Kanchan Gurjar, (Father Of Petitioner)
5. Santi Wife Of Kishor Lal Gurjar, (Mother Of Petitioner No. 1)
6. Vikash Son Of Kishor Lal Gurjar, (Brother Of Petitioner No. 1)
7. Shankar Son Of Kanchan Gurjar, (Uncle Of Petitioner No. 1)
8. Banna Son Of Kanchan Gurjar, (Uncle Of Petitioner No. 1)
9. Madan Son Of Kanchan Gurjar, (Uncle Of Petitioner No.1)
10. Ranglal Son Of Kanchan Gurjar, (Uncle Of Petitioner No. 1)
11. Devnarayan Son Of Shankar Gurjar, (Cousin Brother Of Petitioner No. 1)
12. Mukesh Son Of Shankar Gurjar, (Cousin Brother Of Petitioner No. 1)
13. Deepak Son Of Banna Gurjar, (Cousin Brother Of Petitioner No. 1)
14. Rahul Son Of Madan Gurjar, (Cousin Brother Of Petitioner No. 1) 4 To 14 Are R/o Village Nenoopura, Tehsil Kotkhawada, District Jaipur.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Tejmal Sharma with
Mr. Pallav Sharma
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**Order****14/07/2026**

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से अयाची संख्या 4 लगायत 14 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण अयाची संख्या-1 लगायत 3 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार वयस्क हैं तथा याची संख्या-1 की जन्म तिथि 08.03.2005 एवं याची संख्या-2 की जन्म तिथि 01.03.1998 है, जो कि उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका की प्रति से स्पष्टतः प्रकट हो रही है। इस प्रकार से वे दोनों वयस्क हैं और उन्होंने आर्य समाज विवाह मण्डल ट्रस्ट, गाजियाबाद में विवाह कर लिया है एवं उन्होंने विवाह प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-3 भी पेश किया है। उनका तर्क है कि याचीगण विवाह के बाद शांतिपूर्वक निवास कर रहे हैं तथा अयाची संख्या 4 लगायत 14, जो याची संख्या-1 के परिवारजन हैं, उनके इस विवाह से खुश नहीं हैं तथा दोनों याचीगण को परेशान कर रहे हैं और दोनों याचीगण को गंभीर क्षति होने का अंदेशा है। उक्त अयाचीगण से याचीगण को जान एवं स्वतंत्रता का खतरा है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व अयाची संख्या-2 व 3 पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर दक्षिण व थानाधिकारी, पुलिस थाना कोटखाबदा, जिला जयपुर दक्षिण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्र पंजीकृत डाक से भिजवा दिया है, जो परिशिष्ट-4 है। अतः याचीगण को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य—बनाम—यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह—बनाम—उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू—बनाम—कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा— बनाम—वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान—बनाम—असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के संबंध में कोई टिप्पणी व निष्कर्ष दिये बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या—1 लगायत 3 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याचीगण की ओर से अयाची संख्या—2 व 3 को प्रेषित पत्र परिशिष्ट—4 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के संबंध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किए जाते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरुद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J